

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित प्रधानाध्यापक—मावि एवं समकक्ष स्तर के अधिकारी का स्थानान्तरण/संशोधन तत्काल प्रभाव से इनके नाम के लागते अंकित विद्यालय (कॉलम संख्या 5-6 में यथोल्लिखित) में एतद्वारा किया जाता है।—

नाम कार्मिक	कहां से	कहां को		जिला	6
		विद्यालय	जिला	विद्यालय	
1 MOHAMMAD RAFIQUE	G.SEC.SCHOOL, HAFASAR	BIKANER	GOVT SECONDARY SCHOOL KALYANSAR BADA, BIKANER (08030104001) [XLUNKARANSAR]	BIKANER	
2 RADHEYSHYAM MALAV	G.G.SEC.S. KOYALA,KOYALA,KOYALA TO GOVT SECONDARY SCHOOL KHADAYA CHATRI,KHADAIYA CHATRI,BHUVAKHEDI	BARAN	G.SEC.SCH. KADAIYABAN, CHHABRA (08310403601) [CHHABRA]	BARAN	

उक्त कार्मिक तत्काल स्थानान्तरित स्थान हेतु शाला दर्पण के माध्यम से कार्यमुक्त होकर संबंधित विद्यालय में कार्यग्रहण करते हुए शाला दर्पण से संबंधित समस्त प्रकार की प्रविष्टियों का इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करावें। आरपीएससी चयनित प्रधानाध्यापक जिनका परिवीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ हो/लंबे समय से अनुपस्थित कार्मिक कार्यमुक्त न होकर इस कार्यालय को तत्काल सूचित करें। वर्तमान स्थान से अन्यत्र स्थानान्तरण पर पूर्व में न्यायिक स्थगन प्राप्त हो तो तत्काल इस कार्यालय को अवगत करते हुए नवीन निर्देश प्राप्त करेंगे। राजस्थान स्वैच्छा ग्रामीण सेवा संबंध के कार्मिक (RVRES) यदि शाही क्षेत्र के विद्यालय में स्थानान्तरित हो गये हैं तो वे कार्यमुक्त व कार्यग्रहण न करें।

(नथमल डिटेल)

L.A.S.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/बी-1/45001/प्र030/स्थाना./2019/ दिनांक:- 29.08.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य नम्भी (स्पतन्त्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
- प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग जयपुर।
- उप शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)राजस्थान सरकार जयपुर।
- सम्बंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
- संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
- सम्बंधित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय—माध्यमिक।
- सम्बंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी / नियंत्रण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरित कार्मिक के संबंध में कार्यग्रहण/ कार्यमुक्ति का अपने स्तर पर प्रबोधन करते हुए तीन दिवस में आवश्यक रूप से कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करावे।
- सम्बंधित कार्मिक/ संस्था प्रधान को पालनार्थ।
- सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय ईब-साईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- रक्षित पत्रावली।

अंपुक्त निदेशक(कार्मिक)